सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 344/21 **दिनांक- 21 जुलाई 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-कोतवाली

दुष्कर्म के मामले का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पीड़िता सुचिता (काल्पनिक नाम) निवासी काशीराम आवाश ब्लाक नं0 42/497 सी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 218/21 धारा 376/506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ किया गया |

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियो की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 21.7.21 को वरिष्ठ उ0नि0 ब्रह्मदीन पाण्डेय मय हमराह का0 सुदीप यादव व का0 गौरव कुमार द्वारा बकरीद त्यौहार के दृष्टिगत शान्ति / सुरक्षा व्यवस्था ड्यूटी मे क्षेत्र में मौजूद थे उसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 218/21 धारा 376/506 भादवि का वांछित अभियुक्त आरिफ पुत्र मुन्ना निवासी ब्लाक नं0- 38/456 काशी राम आवास थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ रोडवेज बस स्टैण्ड के पास कही जाने के फिराक मे साधन का इन्तजार कर रहा है। इस सूचना पर सूचना वरिष्ठ उ0नि0 मय हमराही कर्म0गण के रोडवेज पर पहुँचे कि उक्त व्यक्ति द्वारा पुलिस को देखकर तेज कदमो से भागने लगा कि पुलिस टीम द्वारा घेर घार कर आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार किया गया | नाम पता पूछा गया तो अपना नाम 1. आरिफ पुत्र मुन्ना निवासी ब्लाक नं0- 38/456 काशी राम आवास थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ बताया | भागने का कारण पूछने पर गलती की माफी मांगने लगा पूर्णतः इत्मीनान होने पर तथा मुकदमा उपरोक्त 218/21 धारा 376/506 भादवि मे वांछित होने के दृष्टिगत कारण गिरफ्तारी से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लेकर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 218/21 धारा 376/506 भादवि थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ |

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

1. आरिफ पुत्र मुन्ना निवासी ब्लाक नं0- 38/456 काशी राम आवास थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ |

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1.व0उ0नि0 ब्रह्मदीन पाण्डेय थाना कोतवाली आजमगढ़

2.का0 सुदीप यादव थाना कोतवाली आजमगढ़

3. का0 गौरव कुमार थाना कोतवाली आजमगढ़

थाना- बरदह

थाना बरदह मे घटित पूजा हत्या काण्ड का सफल अनावरण घटना मे मृतक के सगे चाचाओ द्वारा आनरकिलिंग किया गया।

दिनांक 14/7/2021 को थाना बरदह के असवनिया ग्राम मे एक लडकी पूजा पुत्री उदयभान उम्र करीब 20 वर्ष की लाश पोखरे मे मिली जिसको उसके चाचा चन्द्रभान व सूरज आदि दाहसंस्कार हेकु पोखरे से निकाल कर लेजाने वाले थे की गाँव के लोगो व प्रधान ने थाना बरदह पर सूचना दी जिसपर फोती सूचना थाना स्थानिय पर दर्ज कर मृतका पूजा का पोस्टमाडम कराया गया बाद मे पूजा के पिता जो हरियाणा मे रहते थे जिनकी **लिखित तहरीर के आधार पर दि0 13.07.21 को स्वयं की पुत्री पूजा उम्र – 20 वर्ष को 1- रोहित पुत्र ज्ञानचन्द्र 2- सौरव पुत्र अज्ञात 3- रामप्रसाद पुत्र सभा निवासीगण ग्राम असवनिया थाना बरदह जनपद आजमगढ द्वारा बुलाकर हत्या कर दिया जाना तथा लाश को पास के तालाब में मौका मिलते ही फेक दिया जाना उक्त के संबंध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 150/21 धारा 302/201 भा0द0वि0 बनाम 1- रोहित पुत्र ज्ञानचन्द्र 2- सौरव पुत्र अज्ञात 3- रामप्रसाद पुत्र सभा निवासीगण ग्राम असवनिया थाना बरदह जनपद आजमगढ पंजीकृत हुआ था तथा विवेचना प्र0नि0 श्री विनय कुमार मिश्रा द्वारा संपादित की जा रही थी। दौराने विवेचना**

मृतका के सगे चाचा 1.चन्द्रभान उर्फ चन्दू व 2. सूरजभान पुत्र गण बदई निवासी गण ग्राम असवनियाँ थाना बरदह आजमगढ़का नाम प्रकाश मे आया और पूर्व मे नाजद अभि0की नामजदगी गलत पाईगयी ।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक नगर जनपद आजमगढ तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के निर्देशन मे अपराध जगत मे अंकुश लगाये जाने व वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के क्रम मे आज दिनांक 21.07.2021 को मै **प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र मय हमराह उ0नि0 विष्णु मिश्रा , का0 आदित्य मिश्रा , का0 अमित कुमार चौरसिया ,महि0 का0 कविता मेहरोत्रा** द्वारा शान्ति सुरक्षा बकरीद डियूटी व ग्राम असवनिया मे हुये हत्या की घटना की रहस्य(Mystery) सुलझाने में गोड़हरा बाजार में मामूर थे कि मुकदमा उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रकाश मे आये अभि0गण **1.चन्द्रभान उर्फ चन्दू व 2. सूरजभान पुत्र गण बदई ग्राम असवनियाँ थाना बरदह जनपद आजमगढ़** को हमराही कर्म0गण की मदद से **दिनांक – 21/07/2021 करीब 1 0.55 बजेग्राम असवनियाँ भक्तान टोला मोड़** घेर कर पकड़ लिया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त गण से उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में पूछा गया तो बताये कि साहब हम लोगो से बहुत बड़ी गलती हो गयी है। हम लोग अपने आत्म सम्मान व लोक लाज के कारण कही के नही रहे दिनांक 13.07.2021 की रात को पूजा के मोबाइल नं0 6393383288 से 06 मिस्ड काल पूजा के मोबाइल पर आया था। इसके पूर्व में भी मेरे ही गाँव के राम प्रसाद के साले के लड़के रोहित का पूजा से गलत सम्बन्ध था। उसी का हमको शक हुआ कि उसी का फोन है। इस बात को लेकर हम दोनो भाई पूजा को उसके कमरे में जाकर डाट कर पूछने लगे कि तुम्हारे मोबाइल पर रोहित का ही मिस्ड काल आया था। इस बात पर पूजा को नागवार लगा व अनाब सनाब बकने लगी और हम दोनो भाई मिल कर उसके सिर के पिछले भाग को पकड़ कर कमरे के दरवाजे के बगल में दिवाल में गुस्सा वश दबा के घसीट दिये जिससे मुह व नाक दबने से पूजा के दम घुटने से मृत्यु हो गयी। हम लोग घबरा गये और हम दोनो भाई मिल कर पूजा की लाश को ठिकाने लगाने की नियत से गाँव के तालाब में ले जाकर फेंक दिये । उसके बाद हम लोग इस घटना से बचने के लिये घर आकर तथा कुछ लोगो से फोन कर उसके खो जाने के सम्बन्ध में पूछ ताछ कर व स्वयं द्वारा गाँव के आस पास खोजे ।जिससे किसी को कानों कान ये खबर न लगे कि हम लोगो ने पूजा को मार कर लाश को ठिकाने लगा दिया है। रोहित को भी फोन करके बुला कर खोजने में मदद के लिये कहा गया था। अभि0 गण अपने इस कृत्य के लिये बार बार माफी माग रहे है ।

अपराध का तरीका-अभि0गणो द्वारा वादी की पुत्री कु0 पूजा की हत्या कर शव को तलाब मे फेक देना ।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0स0 150/21 धारा 302/201 भा0द0वि0 थाना बरदह जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.चन्द्रभान उर्फ चन्दू व 2. सूरजभान पुत्र गण बदई ग्राम असवनियाँ थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1- 02 अदद मृतक कु0पूजा का चप्पल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र मय हमराह उ0नि0 विष्णु मिश्रा , थाना बरदह आजमगढ

2- का0 आदित्य मिश्रा , का0 अमित कुमार चौरसिया ,महि0 का0 कविता मेहरोत्रा थाना बरदह आजमगढ